

दवियांग व्यक्तियों का समावेशन और सशक्तीकरण

यह एडटिप्रियल 15/07/2020 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "The great omission in the draft disability policy" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में दवियांग व्यक्तियों के समावेशन और सशक्तीकरण के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

निःशक्तता दवियांगजन और उन अभिवृत्तकि एवं परविशीय अवरोधों के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर दवियांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% थी, जिसमें से 7.62% दवियांगजन 0-6 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- भारत ने दवियांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और फरि 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टी भी की। एक नए दवियांगता कानून (दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के अधिनियमन ने दवियांगता की संख्या को 7 स्थितियों से बढ़ाकर 21 कर दिया।
- निःशक्तताओं पर ध्यान व्यक्तिसे हटकर समाज की ओर स्थानांतरित हो गया है, अर्थात् यह निःशक्तता के चकितिसा मॉडल से निःशक्तता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल में स्थानांतरित हो गया है।

निःशक्तता के वभिन्न मॉडल कौन-से हैं?

- **चकितिसा मॉडल (Medical Model):**
 - चकितिसा मॉडल में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दवियांग माना जाता है।
 - इसके अनुसार निःशक्तता व्यक्तिमें नहित होती है क्योंकि इसे निःशक्तता, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से परविश के साथ समायोजन के बोझ सहित गतिविधिके प्रतबिधों के समान देखा जाता है।
- **सामाजिक मॉडल (Social Model):**
 - सामाजिक मॉडल उस समाज पर ध्यान केंद्रित करता है जो दवियांगजनों के व्यवहार पर अनुचित प्रतबिध लगाता है।
 - इसके अंतर्गत निःशक्तता व्यक्तियों में नहीं, बल्कि व्यक्तियों और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में होती है।

भारत में दवियांगजनों के लिये संवैधानिक ढाँचा

- राज्य नीतिके नदिशक सदिधांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है करिज्य अपनी आरथकि सामरथ्य और वकिस की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शक्ति पाने के और बेकारी, बुद्धापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनरह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दवियांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है।

भारत में दवियांगजनों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **भेदभाव:**
 - दवियांगजनों से संबंध 'कलंक' के आधार पर नरितर भेदभाव के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में समझ की कमी उनके लिये अपने मूल्यवान शक्तता या कार्यकरण (Functioning) की प्राप्तिकरना अत्यंत कठनी बना देती है।
 - दवियांग महिलाएँ और बालकिएँ यौन और लगि-आधारित हसिसा के अन्य रूपों का अनुभव करने का अधिक जोखमि रखती हैं।
- **स्वास्थ्य:**
 - कई प्रकार की निःशक्तता नविरण-योग्य होती है। इनमें जन्म के दौरान चकितिसा संबंधी समस्याएँ, गर्भवती स्तरी से संबंध समस्याएँ, कृपोषण के साथ ही दुर्घटनाओं और आघातों से उत्पन्न होने वाली निःशक्तताएँ शामिल हैं।
 - लेकिन जागरूकता की, देखभाल की ओर अच्छी एवं सुलभ चकितिसा सुवधाओं की व्यापक कमी की स्थिति है।
- **शक्ति और रोज़गार:**

- दवियांगजनों के लिये वशीष्ट वदियालयों, वदियालयों तक पहुँच, प्रशिक्षण शक्षिकों और शैक्षकिं सामग्री की उपलब्धता की कमी है।
- भले ही कई दवियांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं, दवियांग वयस्कों की रोजगार दर सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम है।
- **राजनीतिकी भागीदारी:**
 - देश में राजनीतिक क्षेत्र से दवियांगजनों का बहिर्वेशन राजनीतिक प्रक्रिया के सभी सतरों पर और विभिन्न तरीकों से घटति होता है, जैसे:
 - नरिवाचन क्षेत्रों में दवियांगजनों की सही संख्या पर उपलब्ध समग्र डेटा का अभाव।
 - मतदान प्रक्रिया की दुर्समता (जैसे बरेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता)।
 - दलगत राजनीतिमें भागीदारी के मार्ग में बाधाएँ।
 - भारत में राजनीतिक दल दवियांगजनों को कसी बड़े या मज़बूत मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं किंतु आवश्यकताओं को वशीष्ट रूप से संबोधित करें।
- **प्रवरतन की शथिलिता:**
 - दवियांगजनों की स्थिलितीमें सुधार के लिये सरकार ने कुछ सराहनीय पहलें की है।
 - लेकिन भारत सरकार द्वारा 'सुगमय भारत अभियान' (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को अपने भवनों को दवियांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश के बावजूद भारत में अधिकांश भवन दवियांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
 - इसी प्रकार, **दवियांगजन अधिकार अधिनियम** (Rights of Persons with Disabilities Act) ने सरकारी नौकरियों और उच्च शक्षिका संस्थानों में दवियांगजनों के लिये आरक्षण का एक कोटा प्रदान किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।

आगे की राह

- **नविरक कार्रवाई:**
 - नविरक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और आरंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की सक्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिये।
 - केरल ने पहले ही एक आरंभिक नविरक कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
 - व्यापक नवजात सक्रीनिंग (Comprehensive Newborn Screening- CNS) कार्यक्रम शिशुओं में कमर्यों की आरंभ में ही पहचान कर लेने और इस प्रकार राज्य पर निःशक्तता का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है।
- **समुदाय-आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation- CBR) दृष्टिकोण:**
 - यह सुनिश्चित करने के लिये CBR दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि दवियांगजन अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें, नियमित सेवाओं एवं अवसरों तक उनकी पहुँच हो और अपने समुदायों के भीतर वे पूरणतः एकीकृत हो सकें।
- **निःशक्तता के संबंध में समझ और जन जागरूकता बढ़ाना:**
 - सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यावसायिक संघों को ऐसे सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये जो दवियांगजनों से संबंधित कलंकति मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।
 - इस संदर्भ में मुख्यधारा मीडियो ने सही कदम आगे बढ़ाया है जहाँ 'तारे जमीन पर' और 'बरफी' जैसी फिल्मों में दवियांगजनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया गया है।
 - 'सपेशल नीड' लेबल वाले वशीष्ट वदियालय कलंक या नकारात्मक संकेतार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों के पास केवल वशीष्ट आवश्यकता वाले साथियों से ही संवाद करने और सीखने का अवसर होगा।
 - वे परभावों की एक वसितृत शृंखला के संपर्क में नहीं आ सकेंगे।
 - दवियांगजनों के बीच समावेशता को बढ़ावा देने के लिये वशीष्ट वदियालयों और बाहरी दुनिया के बीच संकरण का एक उचित माध्यम होना चाहिये।
- **राज्यों के साथ सहयोग:**
 - ग्रंथिती माताओं की देखभाल के बारे में जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एवं सुलभ चकितिसा सुविधाएँ निःशक्तता उत्पन्न होने की समस्या को संबोधित कर सकने के महत्वपूर्ण संबंध हैं।
 - इन दोनों ही विषयों में कार्रवाई कर सकने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विकिंदरीकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य संविधान में 'राज्य सूची' के अंतर्गत शामिल है।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये हाल की कुछ प्रमुख पहलें

- **भारत में:**
 - **वशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल** (Unique Disability Identification Portal)
 - **सुगमय भारत अभियान** (Accessible India Campaign)
 - **दीनदयाल दवियांग पुनर्वास योजना** (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
 - दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
 - दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- **वशीष्ट स्तर पर:**
 - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दवियांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
 - दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।
 - **अंतर्राष्ट्रीय दवियांगजन दिवस** (International Day of Persons with Disabilities)

- दवियांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सदिधांत (UN Principles for People with Disabilities)

अभ्यास प्रश्न: दवियांगजन अधिकार अधनियम भारत में दवियांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को कहाँ तक आगे बढ़ा सकेगा? चरचा कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/18-07-2022/print>

